

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता-आरवीआरईएस) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-20 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बेण्ड (9300-34800)/(15600-39100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विनय कुमार त्यागी, मुकलावा (श्रीगंगानगर)	31.05.67	भौतिक	04.09.97	अनुदानित से स्क्रिण्ड	20 वर्ष	6000	04.09.17
2.	ज्ञानेन्द्र कुमार वाष्ण्य, किशनगढ़ (अजमेर)	18.10.62	भौतिक	12.12.86	अनुदानित से स्क्रिण्ड	30 वर्ष	6600	12.12.16
3.	गजेन्द्र सिंह चौधरी, बावड़ी (जोधपुर)	02.09.53	भौतिक	29.10.80	अनुदानित से स्क्रिण्ड	20 वर्ष 30 वर्ष	5400 6000	01.09.06 29.10.10

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा । वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा । निर्देशानुसार इन्हें दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है । इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/आरवीआरईएस/वो-1/2014

दिनांक: 11-11-18

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा ।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) वेतन बेण्ड (9300-34800)/(15600-39100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विजय कुमार शर्मा, नवीन अलवर	01.07.72	भौतिक	10.11.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	10.11.17
2.	जगदीश प्रसाद रैगर, घाघू, चूरु	01.01.71	भौतिक	20.09.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	20.09.17
3.	राजेश शुक्ला, औसवाल, अजमेर	25.03.74	भौतिक	12.09.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	12.09.17
4.	प्रेमचन्द रैगर, लाम्बाहरिसिंह (टोंक)	20.12.67	भौतिक	16.12.95	डीपीसी	20 वर्ष	5400	16.12.15
5.	चन्द्रकिशोर जूनवाल, जालिया-11 (अजमेर)	28.12.68	भौतिक	16.12.15	डीपीसी	20 वर्ष	5400	16.12.15
6.	अजीजूद्धीन खॉं, वालेरा (सायला) जालोर	01.06.68	भौतिक	06.01.95	पीएससी	20 वर्ष	6000	06.01.15
7.	रामकुमार पंवार, छानीबड़ी (हनुमानगढ़)	10.03.70	भौतिक	01.07.96	डीपीसी	20 वर्ष	5400	01.07.17
8.	बदेसिंह डामोर, बड़ोदिया (बांसवाड़ा)	25.07.71	भौतिक	19.07.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	19.07.17
9.	शिखा माहेश्वरी, खॉंदू, कॉलोनी, बांसवाड़ा	05.04.73	भौतिक	01.07.97	डीपीसी	20 वर्ष	5400	01.07.17

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) स्वीकृत तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

I.A.S.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 11-4-18

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### संशोधन-आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/ए-5-6-8/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/एसीपी/2017 दिनांक 01.02.18 में क्र.स. 08 पर अंकित श्रीमती निर्मल मेहरा प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगधार झालावाड के एसीपी प्रकरण में एसीपी दिये जाने पर ग्रेड पे 2600 के स्थान पर ग्रेड पे 6800 पढा जावे। शेष शर्तें मुल आदेश के अनुसार यथावत रहेगी।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/ए-6/निर्मल मेहरा/2017

दिनांक:- 10-4-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड
2. श्रीमती निर्मल मेहरा प्रधानाचार्य राबाउमावि गंगधार झालावाड
3. प्रधानाचार्य राबाउमावि गंगधार झालावाड
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
5. निजि पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:संशोधन-आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/एसीपी /2017/वो-2/2017-18 दिनांक 08.02.17 के क्रम संख्या-10 एवं आदेश दिनांक 27.10.17 के क्रम संख्या-16 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-


क्र सं	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20 /30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे
1	2	3	4	5	6	7
1.	रतन सिंह . प्रधानाचार्य,राउमावि, अलियारी (टोंक)	15.08.62	15.07.93 व्या.	14.07.13 20 वर्ष	15.07.13 20 वर्ष	15600-39100 6000/-
2	मीनू चतुर्वेदी प्रधानाचार्य,राउमावि, फारकिया,अजमेर	12.10.69	15.11.96 व्या.	14.11.16 20 वर्ष	15.11.16 20 वर्ष	15600-39100 6800/-

शेष पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक),  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
 बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/एसीपी/संशोधन/18 दिनांक: 10/04/18  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक
- 2-संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 3-रक्षित पत्रावली।
- 4-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।

  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक),  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
 बीकानेर

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11 (7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताओं) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति), के वेतन बेण्ड (9300-34800) एव (15600-39100) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है

क्र. सं.	नाम व पद स्थापन स्थान सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती रा.उ.मा.वि.	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृत	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	भैवरलाल मेघवाल, नेडच राजसंमद	08.10.65	अर्थशास्त्र	15.08.93	DPC	20 वर्ष	5400	15.08.13

पुनरक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनके वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई0ए0एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक - 11/04/2018

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2016-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा,
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य),
3. प्रधानाचार्य, राउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. गार्ड पंजिका



सयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुरेशचन्द्र शर्मा, रामपुरारूपा जयपुर	19.01.68	01.07.96 व.अ.	डीपीसी 09-10	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	01-07-16
2	रतनसिंह, बडाउ, झुन्झुनू	05.07.72	10.09.97 व.अ.	डीपीसी 15-16	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	10-09-17
3	राजेश कुमार टेलर, चित्तौडगढ	23.09.64	19.09.92 व्याख्याता	सीधी भर्ती	II 20 वर्ष	15600-39100	6000	01-06-17 तीसरी संतान होने के कारण

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक 11/04/18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज0वि0/एसीपी/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.....
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0-I/II).....
- 03- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
- 04- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि .....
- 05- संबंधित कार्मिक .....
- 06- निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर